BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI.

ORIGINAL APPLICATION NO. 631 OF 2023

IN THE MATTER OF;

Rajiv Kumar **Appellant**

Versus

State of U.P. & Others. **Respondents**

REPLY/ COUNTER AFFDIAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENTS 2 AND 3

I, **Chandra Prakash Singh** S/o Shri Harish Chandra Singh Aged about 53 years presently working as **District Magistrate, Bulandshahar, Uttar Pradesh** do hereby solemnly and states as under:

1. That I am the working as District Magistrate, Bulandshahar, Uttar Pradesh for the respondents in the above noted matter and am well conversant with the facts and circumstances of the present case and competent to swear the present affidavit on my behalf and also on behalf of the other respondents.

PRELIMINARY OBJECTIONS:

1. That the above O.A. under Sections 14 and 15 of the N.G.T. Act, 2000 has been filed by the Applicant in this Hon'ble Tribunal *interalia* praying for quashing of 2 Environmental Clearances dated 18.12.2018 and 15.10.2020 in respect to Gata no.1, Block nos.1 and 2 situated in Village Uncha Gaon Khadar, Tehsil Dibai, Uttar Pradesh, near banks of River Ganges. Case of the Applicant is that both the above Environmental Clearances dated 18.12.2018 and 15.10.2020 are illegal. Further case of the applicant is that through above Environmental Clearances dated 18.12.2018 and 15.10.2020, lease of the above gata has been erroneously

transferred to the subsequent lessee who has been illegally working in 2 river areas.

PARAWISE REPLY ON BEHALF OF ANSWERING RESPONDENT NOS.2 AND 3:

1. That the contents of the paragraphs 1 and 2 of the O.A. pertain to Applicant/ Records, and therefore do not call for any comments.

2. That the contents of Paragraph 3 of the O.A. is admitted only to the extent that instant O.A. has been filed by the Applicant under Sections 14 and 15 of the N.G.T. Act, 2000. Rest of the contents are wrong and denied. It is submitted that above said Environmental Clearances dated 18.12.2018 and 15.10.2020 pertain to Gata no.1, Blocks 1 and 2 situated in Uncha Gaon Khadar, Tehsil Dibai, District Bulandshahar and both the above said Environmental Clearances have been rightly and legally granted. Previous Environmental Clearances in favour of current lessees i.e. Respondent no.6-Satish Kumar and Respondent no.7-M/s Sensational Agri Pvt. Ltd., were granted by Respondent no.4-State Level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA), Lucknow, according to law.

3. That the contents of Paragraph 4 of the O.A. is partly admitted. It is submitted that Environmental Clearances of Cluster consisting of Gata no.1, Blocks 1 and 2, have been granted by the State Level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA), Lucknow after following

procedure prescribed in law and before granting Environmental Clearances, public hearings were held on different dates which was mandatory for grant of such clearances. Copies of the Public hearing reports dated 6.10.2018 and 23.10.2018 are enclosed herewith as Annexures 1 and 2.

4. That the contents of the Paragraph 5 of the O.A. are wrong and denied. Reply to this para has already been given in para above.

5. That the contents of the Paragraph 6 of the O.A. are wrong and denied. It is submitted that Lessee-Respondent no.6-Satish Kumar is carrying out mining activities in his sanctioned area of Block 2 and this place is located at a distance of approx. 100 meters from the main current of the river. No mining activities are being carried out from the watercourse zone. O.A. herein lives in Bulandshahar district which is situated at a distance of approx. 15 Km. from the mining area and consequently chances of dangers to human life from above mining activities is almost negligible.

6. In reply to Para 7 of the O.A., it is submitted that lessee has been carrying out mining activities in the area sanctioned to him and he is fully complying with the conditions stipulated in the Environment clearances and EIA Notification of 2016 and Sustainable Guidelines (2016) 2020 as well as guidelines framed by the Hon'ble Supreme Court and this Hon'ble Court in its Judgments passed from time to time.

7. That the allegations made by the Applicant in Para 8 of his O.A. have been replied/elaborated in above paras. It is again reiterated that public hearings were held before granting environmental clearances of mining areas of above cluster and clearances have been granted after completion of public hearings.

8. That brief facts stated by the Applicant in his O.A. pertain to Applicant/record and therefore do not call for comments.

9. It is submitted that grounds raised by the Applicant in his O.A. is nothing but a repetition of his brief facts and therefore do not call for any remarks. It is thus evident from above submissions that all the allegations made by the Applicant in his O.A. are wrong and O.A. filed by him is liable to be dismissed.

10. It is, therefore, prayed that O.A. filed by the Applicant is liable to be dismissed in the light of above submissions.

It is, therefore, prayed that O.A. filed by the Applicant be dismissed in the light of above submissions.

Deponent

Verification:

Verified at **BULANDSHAHAR**, on this 5TH day of January, 2024, that the contents of the above reply/ counter affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it false and nothing material has been concealed therein.

Deponent

गाटा संख्या–01 खण्ड संख्या–02, श्री मोहम्मद अली पुत्र स्व0 श्री फकीर मोहम्मद पट्टेधारक के खनन पट्टे का क्षेत्रफल 11.424 हेक्टेअर ग्राम–ऊँचगाँव खादर, तहसील–डिबाई, जनपद–बुलंदशहर में बालू/मौरम के खनन प्रोजेक्ट पर दिनांक– 06.10.2018 को पूर्वान्हः 12.00 बजे सभागार, तहसील–डिबाई, जनपद–बुलंदशहर में सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवृत्ति के सम्बन्ध में :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक श्री मोहम्मद अली पुत्र स्व0 श्री फकीर मोहम्मद के आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 25183/सी–4/एनओसी/209 दिनांक 25.08.2018 जो जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलन्दशहर को पृष्ठांकित है के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय बुलन्दशहर के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 06.10.2018 को सभागार, तहसील–डिबाई, जनपद– बुलन्दशहर, नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधार (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व समाचार पत्र अमर उजाला "हिन्दुस्तान" के बुलन्दशहर संस्करण में दिनांक 01.09.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 06.10.2018 को जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) श्री शमशाद हुसैन की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन सभागार तहसील–डिबाई, जनपद– बुलन्दशहर में आयोजित की गयी। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री शमशाद हुसैन, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जनपद–बुलन्दशहर।
2. श्री जी0एस0 श्रीवास्तव क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।
3. श्री आर0वी0सिंह, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।
4. डॉ0 एदल सिंह, सहायक भू वैज्ञानिक, बुलन्दशहर।
5. श्री एस0सी0 गर्ग, अपर संख्याधिकारी, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र, बुलन्दशहर।
6. श्री राजकुमार, राजस्व निरीक्षक, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।
7. डॉ0 विजय कुमार मिश्रा, डायरेक्टर, जियो ग्रीन एनवायरो हाउस प्रा0 लि0, 403 ऐमन अपार्टमेन्ट, 29 चन्द्रलोक कॉलोनी, अलीगंज, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

श्री जी0एस0 श्रीवास्तव क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। अभिकथित किया गया कि उक्त परियोजना में बालू/मौरम का खनन का कार्य गंगा नदी के किनारे, गाटा सं0–01 खण्ड संख्या– 02 ग्राम– ऊँचागांव खादर, तहसील–डिबाई, जनपद–बुलन्दशहर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरोमेन्टल इम्पैक्ट असिसमेन्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है B1 श्रेणी के अन्तर्गत खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से कम है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत

.....2

कराया गया कि खनन कार्य से आस–पास के पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव पर पट्टेधारकों द्वारा मेसर्स जियो ग्रीन एनवायरो हाउस प्रा0 लि0, 403 ऐमन अपार्टमेन्ट, 29 चन्द्रलोक कॉलोनी, अलीगंज, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया था। परामर्शी द्वारा 10 किमी0 की त्रिज्या में स्थित पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आंकडों के एकत्रण का कार्य स्टेट इनवायरोन्मेन्टल इम्पैक्टइ असिसमेन्ट अथारिटी द्वारा दी गयी टर्म ऑफ रिफरेन्स के बिन्दुओं के अनुरूप की गयी थी तथा उक्त आंकडों के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी थी तथा उसकी एक–एक प्रति अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय , बुलन्दशहर जिला उद्योग केन्द्र बुलन्दशहर, जिला पंचायत बुलन्दशहर, खनन विभाग, बुलन्दशहर एवं क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परामर्शी से विस्तृत विवरण प्रेषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।

परामर्शी डॉ0 विजय कुमार मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित खनन पट्टा क्षेत्र 11.424 हेक्टेयर है। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बालू खनन ही है, जिससे राजकीय एवं निजी निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यूनतम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये, जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा।

साथ ही अवगत कराया गया है कि परियोजना में कार्य करने वाले समस्त श्रमिको के स्वास्थ की पूर्ण जिम्मेदारी पट्टेधारक की होगी तथा परियोजना के प्रारम्भ होने पर ग्राम वासियों को रोजगार की प्राप्ति होगी। खनन कार्य के परिवहन हेतु वाहनो ट्रको/ट्रैक्टर/डम्पर इत्यादि के आवागमन से उत्पन्न धूल के नियंत्रण हेतु परियोजना में जल छिडकाव की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। पट्टेधारक द्वारा समय–समय पर पानी का छिडकाव किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया जायेगा कि अनावश्यक हार्न का प्रयोग न करें। खनन कार्य दिन के समय ही किया जायेगा। अगर पट्टेधारक द्वारा किसी भी निजी भूमि में रास्ता बनाया जाता है तो उसको नियमानुसार उचित मुआवजा तथा उसकी सहमति के उपरान्त ही बनाया जा सकता है। स्थल पर कूडेदान (डस्ट बिन) की व्यवस्था की जायेगी। परामर्शी, संस्था द्वारा जल/वायु ध्वनि आदि से सम्बन्धित नमूने एकत्रित किये गये थे। विश्लेषण के उपरान्त प्रचालक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानको से कम पाये गये है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से आग्रह किया गया कि आप सब अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जिससे कि आपकी बातों को सरकार तक पहुँचाया जा सके!

सर्वप्रथम परामर्शी डॉ0 विजय कुमार मिश्रा द्वारा सभी का स्वागत करते हुए यह कहा गया कि इंजीनियर सुमित वर्मा द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देंगे। उनके द्वारा बताया गया कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, शासनादेश सं0–1875/86–2017–57 (सा) 2017 टीसी–1 दिनांक 14.08.2017 के द्वारा प्रदेश में नदी तल में उपलबध उप खनिज बालू आदि के रिक्त क्षेत्रों पर उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से जनपद बुलन्दशहर में बालू खनन हेतु तहसील डिबाई के ग्राम –ऊँचागाँव खादर के 03 क्षेत्रो में बालू को

.....3

ई–निविदा के माध्यम से खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति सं0–51/खनन अनुभाग दिनांक 08.01.2018 को ई–निविदा पोर्टल पर अपलोड करते हुए दिनांक 13.02.2018 से दिनांक 16.02.2018 के मध्य ई–निविदा आमंत्रित की गयी।

उक्त विज्ञप्ति के खण्ड क्रमांक सं0 02 पर अंकित ग्राम ऊँचागाँव खादर के गाटा सं0 01 खण्ड सं0 02 क्षेत्र 11.424 हेक्टेयर से अनुमानित खनन 114240 घन0मी0 प्रतिवर्ष में द्वितीय चरण की नीलामी जो दिनांक 20.02.2018 को दोपहर 2 बजे से सांय 5 बजे तक निर्धारित थी, उक्त निर्धारित तिथि पर द्वितीय चरण की नीलामी में आपके द्वारा रू 691/– की सर्वाधिक बिड प्रस्तुत कर बालू खनन हेतु बालू खनन पट्टा प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र की मात्रा 114240 घनमीटर की कुल धनराशि रू 78939840/– (सात करोड़ नवासी लाख उन्तालीस हजार आठ सौ चालीस रूपये मात्र) प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित की गयी है।

प्रस्तावित परियोजना का उददेश्य नदी के किनारे का चौड़ा होने से रोकना तथा आसपास के क्षेत्रों को बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाना। नदी के बहाव क्षेत्र से लघु खनिजों (बालू) के खनन एवं संग्रहण के द्वारा नदियों के मौजूदा मार्ग को बनाये रखना। समाज के गरीब वर्ग के लिए आजीविका के अवसर उपलबध कराना। इस परियोजना से निर्माण सामग्री बालू की आपूर्ति में सुधार होगा, जिससे राज्य में बुनियादी जरूरतें जैसे– सड़कों, इमारतों, पुलों आदि के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रस्तावित परियोजना से खनन के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल 11.424 हेक्टेयर होगा। खनन नदी क्षेत्र के उस भाग में होगा जो किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित है। हर वर्ष नदी क्षेत्र से लगभग 114240 घन0मी0 सामग्री के संग्रहण की प्रस्तावना की गयी है। विचाराधीन खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। नदी में जल प्रवाह की मात्रा कैचमेन्टक्षेत्र में अवक्षेपण अर्थात वर्षा की मात्रा के अनुसार बदलती है। बाढ़ के दौरान कोई गतिविधि नही की जायेगी। बालू खनन नदी के बहाव क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। खनन का कार्य मजदूरों द्वारा नदी तल के स्वीकृत क्षेत्र से ही किया जायेगा तथा रेत सामग्री उसके मौजूदा स्वरूप से ही संग्रहित की जायेगी। खनन की प्रक्रिया केवल 01 मीटर की गहराइ अथवा भूजल स्तर से ऊपर, में जो कम हो, तक ही की जायेगी। बालू सामग्री का खनन बाढ़ के दौरान पूरी तरह से रोक दिया जायेगा।

प्रस्तावित परियोजना से निर्माण के लिए बालू सामग्री का खनन अत्यंत आवश्यक है। इस परियोजना से आस–पास के क्षेत्र में रहनें वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस परियोजना से लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लघु खनिजों का अवैज्ञानिक संग्रहण रूक जायेगा। राज्य के लिए राजस्व उपलब्ध होगा जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है!

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि इस परियोजना से पर्यावरणीय सम्बन्धी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वह अपनी समस्या/शिकायत दर्ज करा सकता है।

प्रश्न सं0–1. श्री विसोधर शर्मा पुत्र श्री चन्द्र देव शर्मा, ग्राम–गोकलपुर, जनपद–बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना में गाँववासियों के ट्रेक्टरो को खनन कार्य में क्या लगाया जायेगा।

उत्तर सं0–1. परामर्शी द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में खनन स्थल के आसपास के गाँवो के क्षेत्रो के ही मजदूर व ट्रैक्टरों आदि का सहयोग लिया जायेगा।

प्रश्न सं0–2. श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री नौबत सिंह गोकलपुर, जनपद–बुलन्दशहर द्वारा धूल की समस्या से परेशानी के सम्बन्ध में बताया गया कि इसका निराकरण क्या है।

.....4

उत्तर सं0–2 परामर्शी द्वारा बताया गया कि परियोजना के खनन कार्य में लगे ट्रको व ट्रैक्टरो के आवागमन से उड़ने वाली धूल की रोकथाम हेतु सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जायेगा। जिससे गांव वालों को धूल की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

प्रश्न सं0–3 श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल, अहमदगढ़, जनपद–बुलन्दशहर द्वारा कहा गया कि कितने रू0 घन0मी0 बालू की दर निर्धारित की जायेगी।

उत्तर सं0–3 परामर्शी द्वारा बताया गया कि घन0मी0 बालू की दर का निर्धारण बाद में करके खनन स्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाया जायेगा।

प्रश्न सं0–4 श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री धर्मवीर शर्मा, गोकलपुर, जनपद–बुलन्दशहर द्वारा वाहनो के आवागमन से सड़क छतिग्रस्त की समस्या बतायी गयी।

उत्तर सं0–4 परामर्शी द्वारा बताया गया कि मेन रोड से परियोजना स्थल तक परिवहन मार्ग का रखरखाव/मरम्मत पक्की सड़क का निर्माण पट्टा धारक द्वारा कराया जायेगा।

प्रश्न नं0–5 श्री मुनेन्द्र सिंह पुत्र श्री विनोद सिंह, गोकलपुर, जनपद–बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि खनन परियोजना स्थल पर लगे श्रमिकों हेतु शौच जाने की व्यवस्था क्या की जायेगी।

उत्तर सं0–5 परामर्शी द्वारा बताया गया कि परियोजना में कार्यरत श्रमिक स्थानीय रहेंगे शाम को घर चले जायेंगे। दिन के लिए मोबाईल शौचालय तथा पीने के लिये पानी का टैंकर परियोजना स्थल पर रखा जायेगा। नदी के पानी का उपयोग नहीं किया जायेगा परन्तु अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय जनपद– बुलन्दशहर द्वारा परामर्शी की शर्तों से सहमत नहीं थे। उनके द्वारा कहा गया कि पीने के लिए पानी की व्यवस्था खनन स्थल पर किया जाये तथा कम से कम दस मोबाईल शौचालयों की खनन स्थल पर व्यवस्था की जाये। पट्टाधारक श्री मोहम्मद अली द्वारा यह शर्त से सहमत है कि 02 मोबाईल शौचालयों एवं पानी का टैंकर तथा कचरा रखने हेतु डस्टबिन (10 नग) जगह–जगह पर रखी जायेंगी तथा प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

प्रश्न सं0–6 श्री इन्द्रपाल पुत्र श्री देवधर, गोकलपुर, जनपद–बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि क्या खनन मैनुअली मशीन से किया जायेगा।

उत्तर सं0–6 परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना में खनन का कार्य स्थानीय मजदूरों एवं सेमीऑटो मशीनों द्वारा कराया जायेगा, परन्तु खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा जिससे गंगा नदी की धारा प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि खनन कार्य अधिकतम 01 मीटर की गहराई तक अथवा भू–जल निकलने से पहले अथवा जो दोनो में जो कम होगा तक ही किया जायेगा। जिससे भूगर्भ जल का स्तर नीचे नही जायेगा। उक्त परियोजना में ट्रकों के आवगमन से उडने वाली धूल के नियंत्रण हेतु पानी छिडकाव की व्यवस्था की जायेगी जिससे फसलों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।

पट्टेधारक प्रतिनिधि श्री मोहम्मद अली द्वारा आश्वस्त किया गया कि ग्रामवासियों द्वारा जो भी आपत्ति या सुझाव दिये गये है उन सभी का समाधान ग्रामवासियों की आपसी सहमति से किया जायेगा तथा परियोजना में खनन कार्य से कोई भी समस्या नही होने देगें।

डॉ0 एदल सिंह, सहा0 भू वैज्ञा0, खनन विभाग, बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना में प्रयुक्त ट्रकों के आवागमन से उडने वाली धूल के नियंत्रण हेतु पानी का छिडकाव किया जायेगा तथा ग्राम की मुख्य सडक के निर्माण हेतु जिला खनिज फाउंडेशन में उपलब्ध धनराशि से प्रस्ताव तैयार कर भविष्य में पक्का मार्ग बनाया जा सकता है।

.....5

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), महोदय बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य से ग्राम वासियों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे।ट्रकों के आवागमन से उडने वाली धूल के कारण खराब होन वाली फसलों को बचाने हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा तथा फसलों के खराब होने पर उचित मुआवजा दिया जायेगा। वाहनों के आवागमन से होने वाली क्षति की पूर्ति पट्टेधारकों द्वारा की जायेगी। खनन कार्य से प्राप्त राजस्व का कुछ अंश ग्राम विकास जैसे सडक, स्कूल आदि में प्रयोग किया जायेगा। साथ ही अवगत कराया गया कि परियोजना में खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा, जिसमें सेमी आटो मशीनों का प्रयोग किया जायेगा तथा भूगर्भ जल स्तर गिरने की समस्या वर्षा ऋतु में कम होना व सब्मर्सिबल पम्पों द्वारा भूगर्भ से अत्यधिक दोहन किया जाना है। उक्त बैठक की बीडियोग्राफी की गयी है। जिसको कार्यवृत्त के साथ संलग्न कर शासन को प्रेषित की जायेगी तदोपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति होने के पश्चात पट्टे धारक द्वारा प्रस्तावित परियोजना पर खनन कार्य किया जायेगा। प्लास्टिक का प्रयोग खनन परियोजना स्थल पर पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा। यदि पट्टेधारक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में आरोपित शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है तो ग्रामवासियों की शिकायत पर पट्टा निरस्त किये जाने का प्राविधान है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

(डॉ0 एदल सिंह) सहा0 भू वैज्ञानिक, खनन विभाग, बुलन्दशहर	(आर0वी0सिंह) सहा0 वैज्ञानिक अधि0, उ0प्र0 प्र0नि0बो0, बुलन्दशहर	(जी0एस0 श्रीवास्तव) क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्र0नि0बो0 बुलन्दशहर	(शमशाद हुसैन) अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बुलन्दशहर

Annexure-07

खण्ड संख्या–01, गाटा संख्या–1, श्री गिरीश चन्द्र पुत्र श्री महाराज सिंह पट्टेधारक के बालू खनन पट्टे का क्षेत्रफल 9.879 हेक्टेयर ग्राम–ऊँचागॉव खादर, तहसील–डिबाई, जनपद–बुलंदशहर में बालू के खनन प्रोजेक्ट पर दिनांक–23.10.2018 को अपरान्हः 04.00 बजे सभागार, तहसील–डिबाई, जनपद–बुलंदशहर में सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवृत्ति के सम्बन्ध में :–

उपरोक्त संदर्भित बालू माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक श्री गिरीश चन्द्र पुत्र श्री महाराज सिंह के आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 26013/सी–4 /एनओसी/211/2018 दिनांक 13.09.2018 जो जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलन्दशहर को पृष्ठांकित है के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय बुलन्दशहर के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 23.10.2018 को नामित अपर जिलाधिकारी, (न्यायिक) की अध्यक्षता में सभागार, तहसील–डिबाई, जनपद– बुलन्दशहर, नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधार (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत समाचार पत्र अमर उजाला "हिन्दुस्तान" के बुलन्दशहर संस्करण में दिनांक 19.09.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

खनन परियोजनाओं के संबंध में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा मानक terms of reference तैयार की गयी है जो बेवसाइड www.seiaaup.in पर उपलब्ध है। उक्त मानक terms of reference के आधार पर पर्यावरण संघात ऑकलन/पर्यावरण प्रबन्ध परियोजना हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 04.04.2018 को कार्यवाही हेतु निम्न निर्णय लिया गया है :–

"Project Proponent may undertake primary baseline data from the date of issuance of Letter of Intent without waiting for issuance to ToR. Project Proponent may also undertake the prescribed standard ToR for EIA studies if he applies for exemption from ToR presentation, he may be allowed to do so provided he fulfills all the necessary condition of standard ToR."

SEAC has no objection in holding joint Public hearing at the tehsil headquater.

आज दिनांक 23.10.2018 को जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) श्री शमशाद हुसैन की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन सभागार तहसील–डिबाई, जनपद– बुलन्दशहर में आयोजित की गयी। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री शमशाद हुसैन, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जनपद–बुलन्दशहर।
2. श्री उमाशंकर सिंह, उपजिलाधिकारी, तहसील–डिबाई, जनपद–बुलन्दशहर।
3. श्री आर0वी0सिंह, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।
4. डॉ0 एदल सिंह, सहायक भू वैज्ञानिक, बुलन्दशहर।
5. श्री राजकुमार यादव, तहसीलदार–डिबाई, जनपद–बुलन्दशहर।
6. श्री एस0सी0 गर्ग, अपर सांख्यिकी अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, बुलन्दशहर।
7. श्री अखिलेश कुमार गुप्ता, पर्यावरणीय सलाहकार इंजीनियर्स सर्विसेस, 326–बी, 3 मंजिल, सहारा शापिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, लखनऊ–226016

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

श्री आर0वी0 सिंह, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध

.....2/–

से विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। अभिकथित किया गया कि उक्त परियोजना में बालू का खनन का कार्य गंगा नदी के किनारे, खण्ड संख्या–01, गाटा सं0–01, ग्राम– ऊँचागांव खादर, तहसील–डिबाई, जनपद–बुलन्दशहर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरोमेन्टल इम्पैक्ट असिसमेन्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है B1 श्रेणी के अन्तर्गत खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से कम है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से आस–पास के पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव पर पट्टेधारकों द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार इंजीनियम सर्विसिस, 326–एबी, 3 मंजिल, सहारा शॉपिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, लखनऊ–226016 को परामर्शी नियुक्त किया गया था।

परामर्शी द्वारा 10 किमी0 की त्रिज्या में स्थित पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आंकडों के एकत्रण का कार्य स्टेट इनवायरोन्मेन्टल इम्पैक्टइ असिसमेन्ट अथारिटी द्वारा दी गयी (TOR)/टर्म ऑफ रिफरेन्स के बिन्दुओं के अनुरूप की गयी थी तथा उक्त आंकडों के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी थी तथा उसकी एक–एक प्रति अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, बुलन्दशहर जिला उद्योग केन्द्र बुलन्दशहर, जिला पंचायत बुलन्दशहर, खनन विभाग, बुलन्दशहर एवं क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परामर्शी से विस्तृत विवरण प्रेषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।

परामर्शी श्री सोम्य द्विवेदी द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित खनन पट्टा क्षेत्र 9.879 हेक्टेयर है। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बालू खनन ही है, जिससे राजकीय एवं निजी निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यूनतम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये, जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा।

साथ ही अवगत कराया गया है कि परियोजना में कार्य करने वाले समस्त श्रमिको के स्वास्थ की पूर्ण जिम्मेदारी पट्टेधारक की होगी तथा परियोजना के प्रारम्भ होने पर ग्राम वासियों को रोजगार की प्राप्ति होगी। खनन कार्य के परिवहन हेतु वाहनो ट्रको/ट्रैक्टर/डम्पर इत्यादि के आवागमन से उत्पन्न धूल के नियंत्रण हेतु परियोजना में जल छिडकाव की व्यवस्था का प्राविधान किया जायेगा। पट्टेधारक द्वारा समय–समय पर पानी का छिडकाव किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया जायेगा कि अनावश्यक हार्न का प्रयोग न करें। खनन कार्य दिन के समय ही किया जायेगा। अगर पट्टेधारक द्वारा किसी भी निजी भूमि में रास्ता बनाया जाता है तो उसको नियमानुसार उचित मुआवजा तथा उसकी सहमति के उपरान्त ही बनाया जा सकता है। स्थल पर कूडेदान (डस्ट बिन) की व्यवस्था की जायेगी। मूवेबिल टॉयलेट (शौचालय) की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। परामर्शी, संस्था द्वारा जल/वायु ध्वनि आदि से सम्बन्धित नमूने एकत्रित किये गये थे। विश्लेषण के उपरान्त प्रचालक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानको से कम पाये गये है।

.....3/–

सर्वप्रथम परामर्शी श्री अखिलेश कुमार गुप्ता द्वारा सभी का स्वागत करते हुए यह कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देंगे। उनके द्वारा बताया गया कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, शासनादेश सं0–1875/86–2017–57 (सा) 2017 टीसी–1 दिनांक 14.08.2017 के द्वारा प्रदेश में नदी तल में उपलबध उप खनिज बालू आदि के रिक्त क्षेत्रों पर उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से जनपद बुलन्दशहर में बालू खनन हेतु तहसील डिबाई के ग्राम –ऊँचागाँव खादर के 03 क्षेत्रो में बालू को ई–निविदा के माध्यम से खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति सं0–51/खनन अनुभाग दिनांक 08.01.2018 को ई–निविदा पोर्टल पर अपलोड करते हुए दिनांक 13.02.2018 से दिनांक 16.02.2018 के मध्य ई–निविदा आमंत्रित की गयी।

उक्त विज्ञप्ति के खण्ड क्रमांक सं0 01 पर अंकित ग्राम ऊँचागाँव खादर के खण्ड सं0 01 गाटा सं0 1क्षेत्र 9.879 हेक्टेयर से अनुमानित खनन 98790 घन0मी0 प्रतिवर्ष में द्वितीय चरण की नीलामी जो दिनांक 20.02.2018 को दोपहर 2 बजे से सांय 5 बजे तक निर्धारित थी, उक्त निर्धारित तिथि पर द्वितीय चरण की नीलामी में आपके द्वारा रू 691/– की सर्वाधिक बिड प्रस्तुत कर बालू खनन हेतु बालू खनन पट्टा प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र की मात्रा 98790 घनमीटर की कुल धनराशि रू 78939840/– (सात करोड़ नवासी लाख उन्तालीस हजार आठ सौ चालीस रूपये मात्र) प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित की गयी है।

प्रस्तावित परियोजना का उददेश्य नदी के किनारे का चौड़ा होने से रोकना तथा आसपास के क्षेत्रों को बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाना। नदी के बहाव क्षेत्र से लघु खनिजों (बालू) के खनन एवं संग्रहण के द्वारा नदियों के मौजूदा मार्ग को बनाये रखना। समाज के गरीब वर्ग के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना। इस परियोजना से निर्माण सामग्री बालू की आपूर्ति में सुधार होगा, जिससे राज्य में बुनियादी जरूरतें जैसे– सड़कों, इमारतों, पुलों आदि के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रस्तावित परियोजना से खनन के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल 9.879 हेक्टेयर होगा। खनन नदी क्षेत्र के उस भाग में होगा जो किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित है। हर वर्ष नदी क्षेत्र से लगभग 98790 घन0मी0 सामग्री के संग्रहण की प्रस्तावना की गयी है। विचाराधीन खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। नदी में जल प्रवाह की मात्रा कैचमेन्टक्षेत्र में अवक्षेपण अर्थात वर्षा की मात्रा के अनुसार बदलती है। बाढ़ के दौरान कोई गतिविधि नही की जायेगी। बालू खनन नदी के बहाव क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। खनन का कार्य मजदूरों द्वारा नदी तल के स्वीकृत क्षेत्र से ही किया जायेगा तथा रेत सामग्री उसके मौजूदा स्वरूप से ही संग्रहित की जायेगी। खनन की प्रक्रिया केवल 01 मीटर की गहराइ अथवा भूजल स्तर से ऊपर, में जो कम हो, तक ही की जायेगी। बालू सामग्री का खनन बाढ़ के दौरान पूरी तरह से रोक दिया जायेगा।

प्रस्तावित परियोजना से निर्माण के लिए बालू सामग्री का खनन अत्यंत आवश्यक है। इस परियोजना से आस–पास के क्षेत्र में रहनें वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस परियोजना से लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लघु खनिजों का अवैज्ञानिक संग्रहण रूक जायेगा। राज्य के लिए राजस्व उपलब्ध होगा जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (परियोजना की लागत का 5) = 2.67 लाख (आधार आकलन सर्वेक्षण की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर) – पास के गांवो और स्कूलों के हैंड पंप की स्थापना। पास के गांवो में सौर सड़क प्रकाश। महिलाओं के लिए पास के गांव के लिए शौचालय। सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल शिविर का आयोजन।

.....4

पर्यावरणीय विवरण – पर्यावरणीय गुणवत्ता की जांच के लिये खनन क्षेत्र के आस–पास के स्थानों का चुनाव किया गया है। अध्ययन काल के दोरान, व्यापक वायु गुणत्ता के नमुने 5 स्थानों पर, मृदा गुणवत्ता की जांच 5 स्थानों पर, ध्वनि स्तर की जांच 5 स्थानों पर, भू–जल गुणवत्ता के नमूने 5 स्थानों पर, तथा सतह जल गुणवत्ता के नमूने 3 स्थान पर जांच की गई।

खनन प्रक्रिया – खनन कार्य खुली खुदाई प्रक्रिया के द्वारा नदी के किनारे उपलब्ध साधारण बालू पर किया जायेगा। खनन कार्य अर्ध यंत्रीकृत (सेमी–मेकेनाइज्ड) विधि द्वारा किया जायेगा। वर्षा ऋतु मे खनन कार्य पूर्ण रूप से रोक दिया जायेगा। साधारण बालू का खनन सेमि–मेकेनाइज्ड विधि से की जाएगी तथा वाहन में अर्ध यंत्रीकृत विधि द्वारा भर दी जाएगी। जिसमे हल्के उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा।

परियोजना के लाभ – नदी चैनल पर नियंत्रण। नदी के किनारे की रक्षा। बाढ़ के कारण आसपास के कृषि भूमि की डूबने को कम करना। नदी के स्तर के बढ़ने को कम करना। निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन पैदा करना। ग्रामीणों के लिए रोजगार उत्पन्न रोजगार पैदा करना। आस–पास के स्थानीय निवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार।

प्रभाव मूल्यांकन तथा रोकथाम मानक – क्रियाशील अवस्था के दौरान – परियोजना की क्रियाशील अवस्था के दौरान पर्यावरण पर कठोर प्रभाव पड़ सकता है, यदि सहज तथा सही रोकथाम मानक ना लिए जायें। पर्यावरण प्रबंधन परियोजना तथा प्रभाव आगे समझाए गये है।

प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव व रोकथाम के उपाय –

वायु पर प्रभाव – वायु की गुणवत्ता के अध्ययन से पाया गया कि खनन प्रक्रिया से वहां के पर्यावरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन प्रक्रिया, लोडिंग और उनके परिवहन के दौरान धूल के सूक्ष्म कण का उत्सर्जन होगा। धूल के कण पी.एम. 10 एवं पी.एम 2.5 प्रमुख वायु उत्सर्ग है।

उपाय : वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु नियमित जल का छिड़काव व हरित पट्टिका का विकास प्रस्तावित है।

जल पर्यावरण पर प्रभाव – रेत/मोरम के खनन से जल प्रवाह के मार्ग पर एवं भौतिक गुणों में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। भौतिक गुणों में परिवर्तन होने स जल प्रवाह के जीवों और सम्बन्धित तटीय आवासें पर प्रभाव पड़ेगा।

उपाय : जमाव नदी के माध्यम/निचले हिस्से में पाया जाता है। पट्टे की पूरी अवधि के दौरान, जमाव पर 3 मीटर भूतल से नीचे काम किया जायेगा। खुले गड्ढ़ो की अंतिम गहराई भूतल से नीचे 3 मीटर तक ही होगी।

ध्वनि पर प्रभाव – खनन का स्थान गांवो से दूर है जिससे ध्वनि का प्रभाव विशेष नही होगा। खनन प्रक्रिया से सिर्फ परिवहन द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होगी।

उपाय : ध्वनि की रोकथाम के लिए कम ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहनों कों ही वरीयता दी जायेगी।

मृदा पर प्रभाव – वायु में धूल कणों के स्थिर होने से मृदा की संरचना व रासायनिक तत्वों में बदलाव हो सकता है व ठोस पार्टीकुलेट के पानी में बह जानें से भी मृदा पर प्रभाव पड़ सकता है।

उपाय : आस–पास के गांवो की सड़कों पर पौधारोपण किया जायेगा जिससे धूल के प्रभाव को कम किया जा सके।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि इस परियोजना से पर्यावरणीय सम्बन्धी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वह अपनी समस्या/शिकायत दर्ज करा सकता है।

.....5

प्रश्न सं0–1. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जय सिंह, ऊचाँगॉव खादर, तहसील–डिबाई, जनपद–बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य हेतु, खनन क्षेत्र के आस–पास गाँवों के श्रमिको द्वारा ही खनन कार्य लिया जाये।

उत्तर सं0–1 परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य हेतु आस पास के गाँव के ही श्रमिको को खनन कार्य हेतु लगाया जायेगा।

गंगा नदी की धारा प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिससे भूगर्भ जल का स्तर नीचे नही जायेगा। उक्त परियोजना में ट्रकों के आवगमन से उडने वाली धूल के नियंत्रण हेतु पानी छिडकाव की व्यवस्था की जायेगी जिससे फसलों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।

पट्टेधारक प्रतिनिधि श्री गिरीश चन्द्र द्वारा आश्वस्त किया गया कि ग्रामवासियों द्वारा जो भी आपत्ति या सुझाव दिये गये है उन सभी का समाधान ग्रामवासियों की आपसी सहमति से किया जायेगा तथा परियोजना में खनन कार्य से कोई भी समस्या नही होने देगें।

डॉ0 एदल सिंह, सहा0 भू वैज्ञा0, खनन विभाग, बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना में प्रयुक्त ट्रकों के आवागमन से उडने वाली धूल के नियंत्रण हेतु पानी का छिडकाव किया जायेगा तथा ग्राम की मुख्य सडक के निर्माण हेतु जिला खनिज फाउंडेशन में उपलब्ध धनराशि से प्रस्ताव तैयार कर भविष्य में पक्का मार्ग बनाया जा सकता है।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), महोदय बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य से ग्राम वासियों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। ट्रकों के आवागमन से उडने वाली धूल के कारण खराब होन वाली फसलों को बचाने हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा तथा फसलों के खराब होने पर उचित मुआवजा दिया जायेगा। वाहनों के आवागमन से होने वाली क्षति की पूर्ति पट्टेधारकों द्वारा की जायेगी। खनन कार्य से प्राप्त राजस्व का कुछ अंश ग्राम विकास जैसे सडक, स्कूल आदि में प्रयोग किया जायेगा। साथ ही अवगत कराया गया कि परियोजना में खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा, जिसमें सेमी आटो मशीनों का प्रयोग किया जायेगा तथा भूगर्भ जल स्तर गिरने की समस्या वर्षा ऋतु में कम होना व सब्मर्सिबल पम्पों द्वारा भूगर्भ से अत्यधिक दोहन किया जाना है। उक्त बैठक की बीडियोग्राफी की गयी है। जिसको कार्यवृत्त के साथ संलग्न कर शासन को प्रेषित की जायेगी तदोपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति होने के पश्चात पट्टे धारक द्वारा प्रस्तावित परियोजना पर खनन कार्य किया जायेगा। प्लास्टिक का प्रयोग खनन परियोजना स्थल पर पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा। यदि पट्टेधारक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में आरोपित शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है तो ग्रामवासियों की शिकायत पर पट्टा निरस्त किये जाने का प्राविधान है।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

(एस.सी. गर्ग)
अपर संख्याधिकारी,
जिला उद्योग केन्द्र
बुलन्दशहर

(डॉ0 एदल सिंह)
सहा0 भू वैज्ञानिक,
खनन विभाग,
बुलन्दशहर

(आर0वी0सिंह)
सहा0वैज्ञा0अधि0,
उ0प्र0 प्र0नि0बो0,
बुलन्दशहर

(उमाशंकर सिंह)
उपजिलाधिकारी,
डिबाई

2/11/2018
(शमशाद हुसैन)
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
बुलन्दशहर